न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2014/00104 (2/2014)

रघुनन्दन सिंह पुत्र श्री डालू सिंह जाति राजपूत निवासी चक 2टी.एल.डब्ल्यू. तलवाड़ा झील हाल स्टेटशन हैड क्वार्टर फतेहगंज बड़ौदा (गुजरात) —अपीलान्ट

बनाम

1. कमलेश कुमारी पत्नी श्री डालू सिंह जाति राजपूत
2. डालू सिंह पुत्र स्व0 श्री किशन सिह जाति राजपूत
3. विक्रमसिंह पुत्र श्री डालूसिंह जाति राजपूत

निवासी चक 2 टीएलडब्ल्यू तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, हाल आबाद मकान नं. 9, गजनेर रोड़, बीकानेर, जिला बीकानेर।

4. उप पंजीयक टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय दिनांक 26.12.2013

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

प्र0 संख्या 02/2013 बअनवान रघुनन्दन सिंह बनाम कमलेश कुमारी आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक — 19.12.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 2 टीएलडब्ल्यू खाता संख्या 8 तादादी 3.529 है0 रेस्पो0 सं0 2 के नाम दर्ज कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि चक 2 टीएलडब्ल्यू खाता संख्या 24 तादादी 4.997 है0 व चक 5 टीएलडब्ल्यू खाता संख्या 74 तादादी 0.506 है0 कुल 9.032 है0 को पैतृक सम्पति होना व्यक्ति कर उक्त भूमि में से अपना 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। इस वादपत्र के साथ अपीलाण्ट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट उक्त वर्णित 9.032 है0 भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें। रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपीलाण्ट को विभाजन पत्र दिनांक 15.04.1972 के अन्तर्गत चक 1 टी.एलडब्ल्यू व चक 4 टीएलडब्ल्यू की 24 बीघा भूमि तकसीम में दे दी है। इस तथ्य को अपीलाण्ट ने छुपाया है। अपीलाण्ट ने जवाबुलजवाब प्रस्तुत किया कि कथित विभाजन पत्र नुमाईशी है। इस कथित विभाजन पत्र के अन्तर्गत भी समस्त कृषि भूमि को शामिल नहीं किया है। कथित विभाजन प्रस्ताव का रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रकट करने पर ज्ञान हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त अपीलाण्ट प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति रही है कि प्रश्गनत कृषि भूमि पैतृक सम्पति हैं। प्रश्नगत भूमि जो तलवाड़ा झील में स्थित है, के अलावा भी अपीलाण्ट के दादा स्व0 श्री किशन सिह की दीगर गांवों अर्थात मेघसर तहसील तारानगर जिला चुरू व स्वरूपसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगनर में भी कृषि भूमि थी तथा उक्त समस्त भूमि में अपीलाण्ट के 1/3 हिस्सा को दृष्टिगत रखते हुए कथित विभाजन पत्र रेस्पोर्डेट संख्या 2 द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है था। वस्तुत कथित विभाजन पत्र सिलिंग कानून लागू होने से पूर्व प्रतिवादी सं0 2 ने पैतृक सम्पति सिलिंग कानून से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रभावित होने के भय व आशंका के कारण नुमाईशी तौर पर निष्पादित किया था तथा यह भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 2 के कब्जा में ही रही। अपीलाण्ट तत्समय नाबालिग था। अपीलाण्ट ने शिक्षा पूर्ण कर भारतीय सेना में नियुक्ति ली तथा निरन्तर सेवारत रहा है। अपीलाण्ट के कथित विभाजन पत्र का कोई इल्म नहीं था। ताहम भी कथित विभाजन पत्र के आधार पर अपीलाण्ट के नाम दर्ज करवाई गई भूमि पैतृक कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा के अनुपात में नहीं है। कथित विभाजन पत्र के आधार पर अपीलण्ट को समस्त सम्पतियों में निहित 1/3 हिस्सा पूरा होता है अथवा नहीं, यह विचारण योग्य प्रश्न था जो मूल दावा में तय होना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब में अंकित तथ्यों पर कोई विवेचन नहीं कर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज करने में अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरित नही करने के संबंध में अपीण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञ जारी किये जाने के पर्याप्त कारण मौजूद थे तथा अपीलण्ट ने प्रथम दृष्टया अपना मामला साबित किया है। कथित विभाजन पत्र वास्तविक रूप से लागू भी नही हुआ था। कथित विभाजन पत्र में वर्णित भूमि में से लगभग 3 बीघा भूमि घग्घर डाईवर्जन चैनल में अवाप्त हुई थी तथा इस भूमि का तबादला भी रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने प्राप्त किया है। इस प्रकार कथित विभाजन पत्र का अवलम्ब लेते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवकत ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2020 (2) पेज 1081, आरआरडी 1993 पेज 206 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त सम्पति व अन्य सम्पति जो प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं0 2 द्वारा जरिये विभाजन 24 बीघा चक 1 डीएलडब्ल्यू की दी है वह भी पैतृक सम्पति का हिस्सा था। बंटवारा नामा रजिस्टर्ड होने के के बाद प्रार्थी के नाम पर्चा लगान व अन्य जमाबन्दी काफी अर्सा पूर्व ही बन चुकी थी इस तथ्य को को अपीलाण्ट ने छुपाया है। वादग्रस्त सम्पति में अपीलाण्ट का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कोई हक नहीं है। विभाजन के बाद उक्त सम्पति के एक मात्र अधिकारी रेस्पोडेण्ट है तथा वे उसे किसी भी जरिये वसीयत अथवा अन्य तरीके से अन्तरित कर सकते हैं। अपार्थी सं0 3 अप्रार्थी सं0 1, 2 की सेवा कर रहा है उसके नाम अथवा उसके बच्चों के नाम से भूमि अन्तरित करने हतु स्वतन्त्र है। विक्रय हेतु मुखत्यारनामा देने हेतु भी स्वतान्त्र है। चक 1 टीएल्डब्लयू की 13 बीघा व चक 4 टीएलडब्ल्यूकी 11 बीघा कुल 24 बीघा भूमि जो जद्दी का विभाजन करते हुए अप्रार्थी सं0 2 ने दी उसका पर्चा लगान व जमाबन्दी प्रार्थी` नाम से जारी किया गया है उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है उसका हवाला वाद पत्र में क्यों नहीं दिया इस तथ्य को क्यों छुपाया गया हैं हिन्दू कानून के मुताबिक एक बार बंटवारा होने के बाद तथा रिकार्ड में प्रविष्टि हो जाने के बाद और कब्जा काश्त होने के बावजूद अपीलाण्ट शेष भूमि में कैसे हक मांग रहा है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के प्रार्थी के अलावा एक पुत्र विक्रमसिंह अप्रार्थी सं0 3 पैदा हुआ। अप्रार्थी सं0 2 को अपने पिता किशन सिह से चक 1 टीएलडब्ल्यू मुं 13 बीघा, चक 2 टीएलडब्ल्यू में 34 बीघा 17 बिस्वा व चक नम्बर 4 टीएलडब्लयू में 11 बीघा व 5 टीएलडब्ल्यू में 2 बीघा कुल 60 बीघा 17 बिस्वा विरास्तन प्राप्त हुआ। यह भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2, 3 का जन्मजात हक यानि प्रत्येक का 20 बीघा 6 बिस्वा का था परन्तु तकसीम के दौरान अप्रार्थी सं0 2 की पत्नी काभी बहिस्सा बराबर राजस्व निर्णयों व हिन्दू कानून के अनुसार सभी का बहिस्सा बराबर हक यानि प्रत्येक 15 बीघा 4 बिस्वा का हक बनता है। अप्रार्थी सं0 2 ने बंटवारानामा दिनांक 15.04.1972 करवतो समय चक 1 टीएलडब्ल्यू की 13 बीघा व चक 4 टीएलडब्लयू 11 बीघा कुल 24 बीघा बीघा प्रार्थी को देकर सैटलमैण्ट में उसका अंकन प्रार्थी के नाम हो गया और चारसाला प्रार्थी के नाम से बन कर निरतर चली आ रही है। उसके बाद प्रार्थी ने चक 1 टीएलडब्ल्यू की 13 बीघा का तबादला 4 टीएलडब्लयू में 23 बीघा भूमि है। इन परिस्थतियों में प्रार्थी विभाजन व घोषणा का वाद करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को उसके हिस्स में 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिक है। तकसीम को 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। प्रार्थी के विरूद्ध एस्टोपल बाई कण्डक्ट

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं लीगल एस्टोपल का बनता है। तकसीम के बाद रेस्पोडेण्ट के पास शेष हिस्से का बचा रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा है जिसे वे अन्तरित करने हेतु विधिक रूप से स्वतन्त्र है। सैटलमैन्ट के दौरान ही अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थी 1 को 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि तकसीम करके दे दी है। जिसका रिकार्ड अलग बन चुका है। जिसमें 18 बिस्वा रास्ता खालों में चला गया है और चक 5 टीएलडब्लय के 2 बीघों में 10 बिस्वा किसी पीर मजार होने से चला गया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 2 के सम्पति होने से अप्रार्थी सं0 3 का हक होने से सांझी सम्पति है वहीं अप्रार्थी सं0 1 व 2 की सेवा कर रहा है और कुल सम्पति अप्रार्थी से0 3 को ही देना चाहते है। जिसकी वसीयत में स्वेच्छा से अप्रार्थी सं0 1, 2 ने तहरीर व तकसीम कर पंजीबद्ध करवादी है। उसी से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट ने यह वाद पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2006 पेज 21, आरबीजे 2005 पेज 87, आरआरटी 2016 पेज 1323 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया।

6. अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है ओर पैतृक सम्पति होने के कारण अपीलाण्ट का इस जायदाद में जन्म जात हक है जो भूमि उसको अप्रार्थी सं0 2 द्वारा ब।अवारा में दिनांक 15.04.1972 को दी है उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है इसलिए यह नहीं माना जा सकती कि यह पैतृक सम्पति थी। जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक है और रेस्पोडेण्ट सभी एकराय होकर अपीलाण्ट के उसके विधिक अधिकारों से महरूम किये हुए हैं और प्रश्नगत भूमि को विक्रय करने की फिराक में है। जबकि रेसपोडण्ट के अधिवक्ता ने वादग्रस्त सम्पति व प्रार्थी के नाम से अंकित सम्पति कुलहम किशनसिह के नाम से थी और यह पैतृक सम्पति थी। अप्रार्थी सं0 2 ने पैतृक सम्पति में से प्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज बंटवारानामा वर्ष 1972 में 24 बीघा भूमि प्रार्थी को दी और जिसके आधार पर पर्चा लगान अपीलाण्ट के नाम से जारी किया जाकर जमाबन्दी अपीलण्ट के नाम से बनाई गई जो निरतर चली आ रही है। कब्जा काश्त भी चला आ रहा है। इसलिए जब कुलहम सम्पति पैतृक साबित है और इस सम्पति में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थी के उसके विधिक हिस्सा से अधिक हिस्सा जरिये दस्तावेज बंटवानामा दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को ना तो वाद दायर करने की अधिकारिता है और ना ही स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है। विधिक रूप से भी बंटवारा के द्वारा प्रार्थी भूमि प्राप्त कर चुका है उस पर काबिज चला आ रहा है तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उसने तथाकथित बंटवारानामा को स्वीकार किया जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अन्तर्गत विबन्धित है। इसलिए अपीलाण्ट को वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। इस न्यायालय के मतानुसार प्रस्तुत न्यायिक दष्टान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों क अनुसार यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट ने कुलहम कृषि भूमि की निसबत ना तो अपने वाद में कथन किया है ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। बल्कि पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतित होता है कि अपीलाण्ट ने तथ्यों को न्यायालय से छुपाया है। अपीलाण्ट को जो भूमि बंटवारानामा में दी गई है वह पैतृक सम्पति का ही हिस्सा है उससे विधिक अधिकार से ज्यादा हिस्सा दिया गया है जिसे स्वयं अपीलाण्ट ने स्वीकार किया है। अपीलाण्ट बंटवारानामा दिनांक 15.04.72 व 17.04.72 से विबन्धित है तथा रेस्पोडण्ट अपनी भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है। अपलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं रखा है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलधीन आदेश दिनांक 26.12.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/22

(करतारसिंह पूनियाँ)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़